[Mr. Chairman.]

March, 1967, has been received from Shri Syed Ahmed:—

"As I am going out of India for a tour of the Middle East I shall not be able to attend the fifty-ninth session of the Rajya Sabha. I pray that the House will be pleased to grant me leave of absence."

Is it the pleasure of the House that permission be granted to Shri Syed Ahmed for remaining absent from all meetings of the House during the current session?

(*No hon. Member dissented*)

Permission to remain absent is granted.

ANNOUNCEMENT *RE*: GOVERNMENT BUSINESS

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI M. C. CHAGLA): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business during the week commencing 27th March, 1967, will consist of:

(1) Further discussion on Motion of Thanks on the President's Address.

(2) General Discussion on the General Budget for the year 1967-68.

(3) General Discussion on the Railway Budget for the year 1967-68.

(4) General Discussion on the Goa, Daman and Diu Budget for the year 1967-68.

(5) Consideration and return of the Appropriation Bills relating to the following:—

(a) Demands on Account (General) for 1967-68.

(b) Supplementary Demands for Grants (General) for 1966-67.

(c) Demands on Account (Railways) for 1967-68.

(d) Supplementary Demands for Grants (Railways) for 1966-67.

(e) Demands on Account (Goa, Daman and Diu) for 1967-68.

(f) Supplementary Demands for Grants (Goa, Daman and Diu) for 1966-67.

(6) General Discussion on the Rajasthan Budget for 1967-68.

(7) Consideration and return of the Appropriation Bills relating to following:—

(a) Demands on Account (Rajasthan) for 1967-68.

(b) Supplementary Demands for Grants (Rajasthan) for 1966-67.

RE A POINT OF ORDER

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, हमारा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है । हमारा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है और मैं आप से यह अर्ज करूंगा कि इस बारे में कोई एक स्थायी व्यवस्था हो । इस सदन में क्या कोई सदस्य, जिस के पास पूरे प्रमाण हों, जो इस सदन में इस बात के लिये तैयार हो, जो कुछ भी जोखिम हो, मैं उठाने के लिए तैयार हूं अगर यह खत गलत हो । तो क्या मैं उस खत को पढ़ने का हक नहीं रखता हूं ? कल सदन में एक सवाल उठा था जो आपकी रूलिंग के लिए छूटा हुआ है । (*Interruption*) परसों एक सवाल उठा था कि इसी सदन में 31 अगस्त को या सितम्बर में हमने एक सवाल उठाया था और जिसके बारे में हमारे चागला साहब ने एक जवाब दिया था । उसी से संबंधित एक खत श्री एम० ओ० मैथाई का था । उस समय हम से कहा गया था नाम

बतलाने के लिए, यद्यपि हम उस समय नाम नहीं बतलाना चाहते थे। श्री एम० ओ० मैथाई ने एक खत अपने मित्र को लिखा, जिसमें उन्होंने प्रधान मंत्री से सम्बन्धित बातों की चर्चा की है। मगर मुझे वह खत पढ़ने नहीं दिया गया। इससे मुझे ऐसा लगा कि पार्लियामेंटरी प्रोसीजर को अलग रखकर हमको दबाया जा रहा है। मैं केवल इसलिए निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि चागला साहब भी यहां पर बैठे हुये हैं, तो हमको कोई रूलिंग जो ब्रिटिश पार्लियामेंट भारतीय पार्लियामेंट की जननी मानी जाती है . . .

श्री प्रतुल चन्द्र मित्र (बिहार) : श्रीमन् मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : प्वाइंट आफ आर्डर तो पहले ही हो चुका है।

श्री राजनारायण : बीच में इस तरह से हुड़दम करने लगे हैं।

श्री सभापति : आप भी क्या हुड़दम के बारे में शिकायत करते हैं ?

श्री राजनारायण : हमारे लिये बड़ी मुश्किल है। हम तो अपना प्वाइंट आफ आर्डर रखना चाहते हैं और हमको ठीक सुना जाना चाहिये।

श्री सभापति : फरमाइये।

श्री राजनारायण : मैं यह अर्ज कर रहा था कि हम से उस वक्त कहा गया कि कुछ पोर्शन यूं ही कह दीजिये। हमने कह दिया और बीच का रास्ता निकाला। हमने चेयर से कह दिया कि हम आपकी रूलिंग को अन-पार्लियामेंटरी मानते हैं। आपकी रूलिंग से मैं सहमत नहीं हूं, नाट इन एग्रीमेंट। मगर हम रूलिंग के सामने बो डाउन हुये क्योंकि एक बीच का रास्ता निकला। मगर हमेशा के लिये बीच का रास्ता निकालने से काम नहीं चलेगा। इसलिये मैंने अर्ज किया कि आप इसको अच्छी तरह से सोचें कि हमारे पास जो खत है उस खत को आपकी खिदमत में पेश कर दें। आप हमको एलाऊ करें कि हम उस खत को पढ़ें और उसकी कापी आपकी आज्ञा से टेबल पर रखें और सब आनरेबल मेम्बरों को दें।

श्री सभापति : आप खत मुझे भेजें, तो मैं उसके मुतल्लिक फैसला करूंगा।

RE DISCUSSION ON THE PRESIDENT'S PROCLAMATION WITH REGARD TO RAJASTHAN

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया (मध्य प्रदेश) : श्रीमन् मैं यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने राजस्थान के बारे में जो प्रोक्लेमेशन किया है उसको हम कब डिसकस करने जा रहे हैं। हम यहां पर राजस्थान के बजट के बारे में डिसकशन करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि जब दोनों सदनों में प्रोक्लेमेशन के बारे में स्वीकृति हो जाये तब राजस्थान के बजट पर बहस की जाये। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के प्रोक्लेमेशन के बारे में यहां पर बहस क्यों नहीं की जा रही है ? राजस्थान के बारे में बहस कब भविष्य में की जाने वाली है और कब तक वह प्रोक्लेमेशन यहां पर पेश होने वाला है।

MR. CHAIRMAN: We would like to know when you would have it.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI M. C. CHAGLA): The Home Minister has made a statement, I think both in that House and this House, that the Proclamation will be revoked as soon as possible. But if it is not revoked till this Budget is passed, as my hon. friend knows, the Rajasthan Government will not be